"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2007—माघ 20, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2006

क्रमांक/सी. जी./फार्मा/2006/02.—आज दिनांक 22-09-2006 दिन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल की बैठक श्री भरत बजाज अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल की अध्यक्षता में अपरान्ह 12.00 बजे क्वार्टर नं. 77, सेक्टर-3, गीतांजली नगर, रायपुर स्थित कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल में आयोजित की गई. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यगण :-

1.	श्री भरत बजाज	(अध्यक्ष)
2.	श्री बी. के. अग्रवाल	(सदस्य)
3.	डॉ. टी. आर. साहू	(रजिस्ट्रार एवम् सचिव)
4.	श्री एस. एस. तोमर	(सदस्य)
5.	श्री राघवेन्द्र चन्द्राकर	(सदस्य)
6.	श्री जितेन्द्र नाहर	(सदस्य)
7.	श्री प्रभात बी. साहू	(सदस्य)

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया गया :-

1. पिछली बैठक जो दिनांक 12-5-2006 को आयोजित हुई के मिनिट्स पढ़कर सुनाया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया.

2. उपाध्यक्ष एवम् 3 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव कर गठन किया जाना आवश्यक है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक 56/2006 में दिये गये आदेश के अनुसार पंजीयन का कार्य समाप्त होने के बाद सभी आवेदनों का परीक्षण किया जाना है, परीक्षण उपरान्त संदिग्ध पाये जाने वाले पंजीयन धारकों के विरुद्ध नियमानुसार जांच एवम् कार्यवाही की जानी है, यह कार्यवाही करने का अधिकार धारा 36 के अन्तर्गत केवल कार्यकारिणी को ही है.

अतः यह निर्णय लिया गया कि चूंकि 6 चुने हुये सदस्यों का समावेश काउन्सिल में नहीं हो पाया है इसलिये चुन कर आने वाले सदस्यों के हित एवम् अधिकारों को ध्यान में रखते हुये आज के चुनाव में चुने जाने वाले उपाध्यक्ष एवम् सभी तीनों कार्यकारिणी सदस्य पंजीयन धारकों के बीच से 6 सदस्यों के चुन कर आने तक ही कार्य करेंगे. जैसे ही 6 सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी आज चुने जाने वाले सभी पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्यकाल स्वयमेव समाप्त माना जायेगा तदुपरान्त चुने हुये 6 सदस्यों को समावेश कर पुनः चुनाव करवाये जायेंगे.

नियमानुसार चुनाव की इस प्रक्रिया की अध्यक्षता काउन्सिल अध्यक्ष श्री भरत बजाज ने की एवम् सदस्यों से नाम आमन्त्रित किये. उपाध्यक्ष पद के लिए सदस्य प्रभात बी. साहू द्वारा श्री राघवेन्द्र चन्द्राकर का नाम प्रस्तावित किया गया जिनका सदस्य श्री जितेन्द्र नाहर द्वारा समर्थन किया गया जिन्हें सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए श्री राघवेन्द्र चन्द्राकर को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया.

3 सदस्यीय कार्यकारिणी हेतु सदस्य श्री एस. एस. तोमर द्वारा श्री बी. के. अग्रवाल का नाम प्रस्तावित किया गया, साथ ही प्रभात बी. साहू एवम् मनीषा खटवानी को भी सर्वसम्मति से चयन किया गया.

3. फार्मासिस्टों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम हेतु शासन से प्राप्त आदेश के क्रियान्वयन पर चर्चा कर काउंसिल की ओर से डॉ. टी. आर. साहू, रजिस्ट्रार छ. ग. स्टेट फॉर्मेसी काउन्सिल एवम् श्री जितेन्द्र नाहर को उक्त कार्यक्रम के तकनीकी समिति के सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चयन किया गया. शासन की ओर से श्री बी. के. अग्रवाल, नियन्त्रक, खाद्य एवम् औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन का मनोनयन हुआ.

4. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी के तहत उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया.

5. 01-04-2006 से 20-09-2006 तक का काउन्सिल के आय एवम् व्यय का ब्यौरा पढ़कर सुनाया गया.

6. अन्य विषय के अन्तर्गत वे 700 फार्मासिस्ट पंजीयन धारक जिन्होने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पंजीयन करवाया था किन्तु पिछली बार एक माह का समय देते हुए आवेदन मंगवाया गया था जिसमें से भी कई लोग छूट गये हैं इसकी अग्रिम सूचना शासन को प्रेषित कर उपरोक्त सभी पंजीयन धारकों को पूर्ववत् 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) बिल्डिंग फण्ड लेकर पंजीयन करवाने का एक और अवसर दिया जाये.

7. अन्य विषय के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों को नियमित को रूप से कार्यालय आते रहने अथवा फोन के माध्यम से कार्यालयीन कार्य से अवगत होते रहने निर्देशित किया गया ताकि सदस्यगण कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर जानकारी से विदित रहें एवम् पंजीयन धारकों द्वारा पूछे जाने पर सही-सही जानकारी दे सकें.

टी. आर. साहू,
रजिस्ट्रार.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

प्ररुप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

अम्बिकापुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

पंजीयक, लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के समक्ष

क्रमांक/547/स्टेनो/2007.—यह कि श्री हरि राम अग्रवाल आ. स्व. चंदगी राम अग्रवाल, अम्बिका पेट्रोल पंप, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19-02-2007 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं आर. प्रसन्ना, अनुविभाग अम्बिकापुर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 19-02-2007 को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच कराना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	महावीर मंडल लोक न्यास
(2)	चल संपत्ति	:	17600.00 रुपये प्रतिमाह, मंदिर परिसर में निर्मित दुकानों से प्राप्त किराया.
(3)	अचल संपत्ति	:	भू-खण्ड ख. क्र. 1366/3 रकबा 0.18 एकड़ भूमि और उस पर निर्मित 26 मंदिर तथा 26 दुकानें.

आर. प्रसन्ना,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2007

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2007/108.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/942/बिलासपुर, दिनांक 6-8-2005 के तहत् अरपांचल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 77 दिनांक 8-4-94 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्रीमति शोभा बंदे, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं सी. एल. ध्रुव, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-01-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
संयुक्त पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2007

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की निगम 18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2007/50.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1494/बिलासपुर, दिनांक 2-12-2005 के तहत् नर्मदा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित मंगला पंजीयन क्रमांक 3945 दिनांक 1-11-99 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्रीमति शोभा बंदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-01-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2007

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की नियम 18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2007/78.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1054/बिलासपुर, दिनांक 5-8-2006 के तहत् नारी कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्यादित दयालबंद पंजीयन क्रमांक 140 दिनांक .... विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्रीमति शोभा बंदे, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-01-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.